

गौतम मल्होत्रा एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य (जसवंत सिंह, ज.)

समक्ष जसवन्त सिंह और सुधीर मित्तल, जज

गौतम मल्होत्रा और अन्य – याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा सरकार और अन्य- उतरवादीगण

CM NO.13945-CWP ऑफ़ 2020 में/और

RA-CW NO. 221 ऑफ़ 2018 इन CWP NO.63 ऑफ़ 2017

21 दिसम्बर 2020

- A. भारत का संविधान 1950 अनुच्छेद 226 और 227 - पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 (हरियाणा के लिए लागू) - एस.2(जी) - पूर्वी पंजाब होल्डिंग्स (एकीकरण और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम 1942 - शामलात भूमि की खरीद तथा याचिकाकर्ता द्वारा - अस्वीकार्य, अनुमान - शामलात भूमि पंचायत के साथ निहित - भूस्वामी को शामलात भूमि में अपने निश्चित हिस्से का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा - ऐसे राजस्व रिकॉर्ड, चकबंदी रिकॉर्ड के साक्ष्य का अभाव - समीक्षा आवेदन खारिज कर दिया गया।

यह माना गया कि, माना जाता है कि विचाराधीन भूमि राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा खरीदी गई थी। इस राजस्व रिकॉर्ड/इंतकाल के संबंध में, नीचे के अधिकारियों द्वारा एक निश्चित निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि इसे अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से अद्यतन किया गया था और बाद में इसे ठीक भी कर दिया गया था। इतना ही नहीं, बहस के दौरान भी, आवेदक के वकील ने स्वीकार किया है, जैसा कि उनके तर्क संख्या 6 से स्पष्ट है, कि विचाराधीन भूमि इंतकाल संख्या 419 दिनांक 10.02.1955 के तहत शामलात भूमि ग्राम पंचायत के पक्ष में दर्ज की गई थी। जैसा कि अधिकारियों के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.07.2017 के फैसले में माना गया है, भूमि को वर्ष 1909-10 के लिए भी जमाबंदी में शामलात भूमि के रूप में दर्शाया गया था और उक्त निष्कर्ष का कोई खंडन नहीं है। एक बार जब यह मान लिया जाता है कि संपत्ति शामलात भूमि है तो किसी भी व्यक्ति को गांव की शामलात भूमि को बेचने का कोई अधिकार नहीं है। कानून की यह स्थापित स्थिति है कि किसी भी विक्रेता भूमि का स्वामित्व उसके विक्रेता से बेहतर नहीं हो सकता।

(पैरा 19)

आगे माना गया कि, माना जाता है कि, सांत्वना कार्यवाही पूर्वी पंजाब होल्डिंग्स (एकीकरण और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम, 1942 के तहत निहित प्रावधानों के मद्देनजर की जाती है, जिसने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक पूर्ण तंत्र प्रदान किया है। आवेदकों को संबंधित प्राधिकारी से संपूर्ण रिकॉर्ड लाने और चकबंदी के समय निर्धारित अपनी भूमि की पहचान करने की आवश्यकता थी। इसे नीचे के अधिकारियों के समक्ष साबित करके और उनकी भूमि की प्रकृति और चरित्र को स्थापित करके किया जाना आवश्यक था। उक्त रिकॉर्ड को न तो रिट याचिका के साथ संलग्न किया गया है और न ही राज्य/विपक्षी पक्ष को अपनी सामग्री का खंडन करने में सक्षम बनाने के लिए नीचे दिए गए प्राधिकारियों के समक्ष संलग्न किया गया है। परिणामस्वरूप, आवेदकों द्वारा उठाए गए दावे पर निर्णय लेने के लिए पृथक दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये न केवल साक्ष्य की आवश्यकता वाला एक अधूरा दस्तावेज है, बल्कि कानून की नजर में इसका कोई अनुमानित मूल्य भी नहीं है।

(पैरा 20)

इसके अलावा, सूरजभान के मामले में, माननीय पूर्ण पीठ ने "शामलात भूमि" की विभिन्न प्रकृति पर विचार किया है और गांव के मालिकों के स्वामित्व की प्रकृति और नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा उनके अधिग्रहण की एक व्यवस्था भी निर्धारित की है।

(पैरा 21)

आगे यह भी कहा गया कि, एक जमींदार को राजस्व रिकॉर्ड आदि के माध्यम से शामलात भूमि में अपनी निश्चित हिस्सेदारी का साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक है। शामलात भूमि में अपना हिस्सा साबित करने के लिए, उक्त साक्ष्य के अभाव में, शामलात भूमि के रूप में दर्ज किसी भी भूमि को 1953 अधिनियम (अब 1961 अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित) के लागू होने के बाद पंचायत के साथ निहित करने का

अनुमान है। वर्तमान मामले में, न तो कोई दलील है और न ही कोई सबूत पेश किया गया है जो हमें दिनांक 11.07.2017 के फैसले में पहले से ही लिए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित कर सके। इस प्रकार, यह तर्क भी अस्वीकार किया जाता है।

(पैरा 22)

B. पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 (जैसा कि हरियाणा पर लागू है) धारा 2(जी)(5)(i) - बंजर कदीम (गैर-खेती योग्य), गैर मुमकिन रास्ता, बंजर कदीम और सैलाब के रूप में दर्ज भूमि - नहीं नदी कार्रवाई के अधीन - धारा 2(जी)(5)(i) के तहत अपवाद द्वारा अपवाद के अंतर्गत नहीं आता। यह तर्क दिया गया कि विचाराधीन भूमि नदी कार्रवाई (यमुना नदी) के अधीन है और इसलिए यह धारा 2(जी)(5)(i) के तहत दी गई छूट के अंतर्गत आती है, पूरी तरह से गलत है। यह स्पष्ट है कि वर्ष 1909-10 के राजस्व रिकॉर्ड में भूमि "शामलात भूमि हस्ब रसद रकबा खेवत" के रूप में दर्ज है और भूमि की प्रकृति "बंजर कदीम" यानी गैर-खेती योग्य भूमि के रूप में दर्ज है। इसका मतलब यह है कि भूमि कभी भी नदी की कार्रवाई के अधीन नहीं होगी, जैसा कि आरोप लगाया गया है। यदि ऐसा था भी, तो इसके व्यक्तिगत खेती के कब्जे में किसी भी व्यक्तिगत मालिक को नहीं दिखाया गया था ताकि वह उक्त भूमि पर किसी भी अधिकार का दावा करने में सक्षम हो सके। इसी प्रकार, वर्ष 1955-56 की जमाबंदी के अनुसार, भूमि गैर मुमकिन रैयत, गैर मुमकिन रास्ता, बंजर कदीम और सैलाब के रूप में दर्ज है। भूमि की इस प्रकृति का यह अर्थ नहीं है कि याचिकाकर्ताओं की भूमि नदी कार्रवाई के अधीन थी। यदि ऐसा था भी, तो स्वामित्व सदैव ग्राम पंचायत के पास ही रहा है और यह कभी भी किसी व्यक्ति विशेष के स्वामित्व में नहीं आया। इस प्रकार, ग्राम पंचायत भूमि को निजी व्यक्ति को बेचना तब तक संभव नहीं है जब तक कि इसे एसी, 1961 के प्रावधानों के अनुसार नहीं बेचा जाता है। समीक्षा आवेदकों द्वारा उनके समीक्षा आवेदन में उल्लिखित वाजिब-उल-अर्ज भी उनके मामले का समर्थन नहीं करता है। चूंकि यह कहीं भी यह साबित नहीं करता है कि यह समीक्षा आवेदकों द्वारा खरीदी गई भूमि से संबंधित है।

(पैरा 23)

(C) पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम 1961 (जैसा कि हरियाणा पर लागू है) - प्रक्रिया - साक्ष्य - जमाबंदी तैयार न करने के लिए अनधिकृत रिपोर्ट - ऐसी अज्ञात प्रक्रिया की निंदा की जाती है।

यह माना गया कि, दिनांक 25.06.2018 की रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि हस्ताक्षरकर्ता ने एक सेवानिवृत्त पटवारी से राजस्व रिकॉर्ड का अनुवाद कराया था और फिर जमाबंदी तैयार न करने के संबंध में गवाही दी थी। इस प्रकार की रिपोर्ट और प्रक्रिया अज्ञात है, हम इस तरह के अनधिकृत तरीके से रिपोर्ट देने के संबंध में राजस्व अधिकारियों की प्रथा की निंदा करते हैं।

(पैरा 24)

आशीष अग्रवाल सीनियर अधिवक्ता, असिस्टेड द्वारा,
नितिन कौशल, अधिवक्ता
याचिकाकर्ता के लिए - याचिकाकर्ताओं की समीक्षा करें

श्रुति जैन गोयल, D.A.G. हरियाणा

जसवंत सिंह, जे.

- (1) समीक्षा आवेदकों ने सीएम नंबर 13945-सीडब्ल्यूपी-2020 के साथ यथास्थिति का आदेश देकर समीक्षा आवेदन के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादियों को भूमि की प्रकृति और चरित्र को बदलने से रोकने के लिए वर्तमान आवेदन दाखिल किया है।
- (2) सुनवाई के समय, वरिष्ठ वकील ने सीखा कि आवेदकों-समीक्षा याचिकाकर्ताओं ने इस मामले पर इस मामले पर बहस करने की इच्छा व्यक्त की है, जिसमें राज्य के वकील को कोई आपत्ति नहीं है और इसलिए हम समीक्षा आवेदन तय करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दोनों पक्षों द्वारा दी गई सहमति के मद्देनजर मुख्य समीक्षा की सुनवाई की तिथि 16.02.2021 से आज तक।
- (3) समीक्षा आवेदकों के लिए विद्वान वरिष्ठ परामर्शदाता ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं:-

प्रथम तर्क :- आवेदकों ने राजस्व रिकॉर्ड की जांच के बाद पंजीकृत बिक्री दस्तावेजों के आधार पर वर्ष 2010 में 156 कनाल 16 मरला भूमि खरीदी है और इसलिए वे भूमि की वास्तविक खरीद हैं।

दूसरा तर्क :- दिनांक 11.07.2017 के अपने निर्णय (अनुलग्नक ए-2) में इस न्यायालय का यह निष्कर्ष कि विचाराधीन भूमि मालिकों पर प्रो रारा कट लगाने के बाद, चकबंदी के दौरान सामान्य प्रयोजनों के लिए आरक्षित थी और इसलिए 'शामलात भूमि' है, वास्तव में गलत है। डब्ल्यू रिट याचिका के साथ संलग्न सूची में अनुलग्नक-पी-6 उस भूमि को दर्शाता है जिस पर आम प्रयोजनों के उपयोग के लिए कटौती की गई थी।

तीसरा तर्क :- विचाराधीन भूमि 'शामलात भूमि हसब रसद खेवट' है और इस प्रकार एक साधारण शामलात भूमि नहीं है और मालिकों का इसमें हिस्सा है और यह ग्राम पंचायत में निहित नहीं है। इस संबंध में सूरज भान बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 2017 (2) आरसीआर (सिविल) 934 (एफबी) में इस अदालत की पूर्ण पीठ के फैसले का संदर्भ दिया गया है।

चौथा तर्क :- कोई निष्कर्ष वापस नहीं किया गया है क्योंकि विचाराधीन भूमि नदी कार्रवाई के अधीन है और अधिनियम 1961 की धारा 2(जी)(5)(i) के तहत शामिल भूमि से बाहर है। यह तथ्य वाजिब-उल-अर्ज से स्पष्ट है 1990 और 1965-66 (क्रमशः पी-16 और पी-15) और समेकन योजना जहां यह दर्ज किया गया है कि नदी कार्य भूमि को स्वामियों को वितरित किया जाना है। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा खरीदी गई भूमि नदी कार्रवाई के अधीन है क्योंकि राजस्व अधिकारी द्वारा तैयार की गई दिनांक 25.06.2018 की रिपोर्ट (अनुलग्नक ए-4 कोली) के अनुसार 1943 से 1974 तक कोई जमाबंदी तैयार नहीं की गई थी और भूमि पुनः प्राप्त होने के बाद जमाबंदी केवल 1983-84 से तैयार की गई थी।

पांचवा तर्क :- शामलात भूमि के निर्धारण की प्रासंगिक तिथि 09.01.1954 है, हालाँकि सभी अधिकारियों और इस न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्ष वर्ष 1955-56 की जमाबंदी के आधार पर हैं, जो गलत है।

छठा तर्क:- ग्राम पंचायत के पक्ष में इंतकाल नंबर 419 दिनांक 10.02.1955 शासन पत्र के आधार पर है जो अवैध है और कायम नहीं रखा जा सकता।

4. हमने आवेदकों-समीक्षा याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है और पेपर बुक का अवलोकन किया है। हालाँकि, हमारा विचार है कि वर्तमान दृश्य किसी भी योग्यता से रहित है, और इसलिए खारिज किए जाने योग्य है।

5. न्यायालय के विचाराधीन संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या विचाराधीन भूमि, जिसे अन्यथा राजस्व रिकॉर्ड में "शामलात भूमि हसब रसद रकबा खेवट" के रूप में वर्णित किया गया है, पंजाब की धारा 2 (जी) के तहत किए गए अपवाद के अंतर्गत आती है। ग्राम सामान्य भूमि अधिनियम 1961 (संक्षेप में 'अधिनियम 1961') (जैसा कि हरियाणा पर लागू होता है) या नहीं?

6. रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि कुल चार याचिकाकर्ता हैं और वे गांव दहिसरा तहसील और जिला सोनीपत में स्थित कुल 156 कनाल 16 मरला भूमि के बाद के खरीदार हैं। उनकी भूमि जोत का विवरण समीक्षा आवेदन के पैराग्राफ संख्या 3 (आंतरिक पृष्ठ 7) के तहत दिया गया है।

7. यह देखा गया है कि खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी राय, जिला सोनीपत ने अधिनियम 1961 की धारा 7 के तहत एक बेदखली याचिका दायर की थी और अधिनियम 1961 की धारा 13-ए के तहत स्वामित्व की घोषणा के लिए एक अलग मुकदमा भी दायर किया था। यह मुकदमा 1173 से संबंधित था कनाल जिसमें से 156 कनाल 16 मरला याचिकाकर्ता-कंपनी और उसके निदेशकों द्वारा खरीदा गया है।

8. प्रथम दृष्टया, जिला राजस्व अधिकारी-सह-सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी सोनीपत ने अपने विस्तृत आदेश दिनांक 23.05.2012 (पी-1) के तहत अधिनियम 1961 की धारा 7 के तहत दायर मुकदमे की अनुमति दी और निम्नानुसार आयोजित किया: -

“रिकॉर्ड पर आए सभी दस्तावेजों की जांच के बाद यह पता चला कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार विवादित भूमि के संबंध में स्वामित्व ग्राम पंचायत दहिसरा के पास है, जिसे सामान्य उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया जा रहा था, जिसके बाद उत्तरदाताओं का कब्जा है। वही गैरकानूनी तरीके से उत्तरदाताओं का कहना है कि विवादित भूमि एक पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से खरीदी गई है, इसलिए उन्हें उनके कब्जे से बेदखल नहीं किया जा सकता क्योंकि भूमि का मालिक ग्राम पंचायत दहिसरा है और ग्राम पंचायत द्वारा उत्तरदाताओं को भूमि कभी नहीं बेची गई थी। न ही उसे किराये पर दिया या पट्टे पर दिया और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से भूमि ग्राम पंचायत को बेच दी गई, ऐसी स्थिति में उपरोक्त विक्रय पत्र ग्राम पंचायत में बाध्य नहीं है। इसलिए, प्रतिवादी द्वारा दिए गए कथन के अनुसार, उन्हें विवादग्रस्त भूमि का वैध मालिक नहीं कहा जा सकता है। यह अधिकार पंचायत के विधि अधिकारी यानी एल.जे.आर. द्वारा रिकॉर्ड पर रखा गया है। 2007 (1) पृष्ठ 17 जिसमें शामलात भूमि हसब रसब रकबा खेवट को शामलात भूमि (सामान्य भूमि) माना गया है। शामलात भूमि ग्राम पंचायत के अधीन है, उपरोक्त प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में विवाद को स्पष्ट रूप से कवर किया है। इसके अलावा तहसीलदार सोनीपत की दिनांक 14.03.2011 की रिपोर्ट में भी प्रतिवादियों का कब्जा अवैध साबित हुआ। उस ग्राम पंचायत ने एक सिविल रिट याचिका क्रमांक दायर की थी। 2188 ऑफ 2011 माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 6 के तहत किसी भी निर्माण को खड़ा करने के ऑपरेशन पर रोक लगा दी है। उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, उत्तरदाताओं का कब्जा अवैध साबित हुआ।”

(9) हालाँकि, यह कलेक्टर, सोनीपत हैं जिन्होंने अधिनियम की धारा 13-ए के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार स्वामित्व मुकदमे का फैसला किया और निम्नलिखित प्रश्न तैयार करके 17.03.2015 (पी-2) को बीडीपीओ, राय द्वारा दायर कानून की: घोषणा के लिए मुकदमे की अनुमति दी।

“क्या विवादित भूमि का उपयोग सामान्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है, और यह सामान्य भूमि (शामलात भूमि) की परिभाषा में आती है?”

(10) उक्त प्रश्न का उत्तर कलेक्टर द्वारा निम्नलिखित टिप्पणी करके भूमि को "शामलात भूमि" मानकर दिया गया है:

“बहस के इस बिंदु को साबित करने का दायित्व वादी पर है। पंजाब विलेज एंड कॉमन लैंड इंतकाल नंबर 419, दिनांक 12.02.1955 के कार्यान्वयन के बाद इसकी प्रविष्टि की गई और अधिनियम के आधार पर ग्राम पंचायत के नाम पर ही मंजूरी दे दी गई। इसके उपयोग के समय ही, विवादित भूमि को सामान्य प्रयोजनों के लिए आरक्षित कर दिया गया था। जिस भूमि का उपयोग सामान्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, वह सामान्य भूमि की परिभाषा के अंतर्गत आती है और ग्राम पंचायत के पास निहित होती है। वादी द्वारा अभिलेख पर रखे गए राजस्व अभिलेख के आधार पर, विवादग्रस्त भूमि का स्वामी ग्राम पंचायत है और सामान्य भूमि की परिभाषा के अंतर्गत आता है। प्रतिवादियों ने रिकॉर्ड पर कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है जो इस तथ्य को प्रमाणित कर सके कि पंजाब ग्राम सामान्य भूमि अधिनियम के कार्यान्वयन से 12 साल पहले, वे विचाराधीन भूमि पर कब्जे में थे, इसलिए, बहस के इस बिंदु को किसके पक्ष में अनुमति दी जा रही है वादी और प्रतिवादी के विरुद्ध।”

(11) कलेक्टर द्वारा यह भी माना गया कि विचाराधीन भूमि को अधिनियम, 1961 के लागू होने से पहले भी शामलात भूमि के रूप में उपयोग किया गया था जोकि निम्नलिखित है: -

“बहस के इस बिंदु को साबित करने का दायित्व वादी पर था। वादी परिशिष्ट ए-73 के अनुसार, यानी वर्ष 1955-56 के लिए जमाबंदी में ग्राम पंचायत का नाम मालिक के कॉलम में उल्लिखित है और गैर मुमकिन है। अन्य प्रासंगिक वादी द्वारा रिकॉर्ड पर रखा गया राजस्व रिकॉर्ड, विवाद में भूमि गैर मुमकिन थी और इसका अधिकांश भाग चारागाह के रूप में उपयोग किया जाता था और सामान्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता था। चारागाह की भूमि भी सामान्य भूमि की परिभाषा के अंतर्गत आती है और इसमें निहित होती है ग्राम पंचायत। प्रतिवादियों द्वारा हिंदी संस्करण में रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों के अनुसार, मालिक के कॉलम

में, ग्राम पंचायत के नाम का उल्लेख किया गया है। प्रतिवादी रिकॉर्ड पर कोई ठोस सबूत देने में विफल रहे जो इस तथ्य को साबित कर सके कि भूमि विवाद का उपयोग सामान्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया था। इसलिए, बहस के इस बिंदु को वादी के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ भी अनुमति दी जा रही है।”

(12) दिनांक 23.05.2012 (पी-1) के आदेश से व्यथित होकर, वर्तमान समीक्षा आवेदकों-रिट याचिकाकर्ताओं ने आयुक्त, रोहतक के समक्ष अपील दायर की। उक्त अपील को तीन अन्य अपीलों के साथ आयुक्त, रोहतक द्वारा एक सामान्य आदेश दिनांक 15.09.2016 (पी-3) पारित करके निम्नानुसार खारिज कर दिया गया:

राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि वर्ष 1955-56 की जमाबंदी के अनुसार मालिक वाद के कॉलम में भूमि पंचायत देह के अनुसार दर्ज है और कृषक मकबूजा के कॉलम में पंचायत दर्ज है और भूमि प्रकार के कॉलम में यह दर्ज है गैरमुमकिन जोहराद, गैरमुमकिन रायत, गैरमुमकिन रास्ता, बंजार कदीम और सैलाब के रूप में दर्ज है। इस प्रकार वाद भूमि पंचायत के स्वामित्व में है और पंचायत देह की परिभाषा के अंतर्गत आती है। अपीलकर्ताओं ने मुख्य रूप से माना है कि वाद भूमि गांव के मालिकों से खरीदी गई है पंजीकृत विक्रय विलेखों के माध्यम से और वे मालिक के रूप में कब्जे में बने हुए हैं। अपीलकर्ताओं का यह तर्क तर्कहीन है क्योंकि वाद भूमि का असली मालिक ग्राम पंचायत है और ग्राम पंचायत ने कभी भी उपयुक्त जमीन नहीं बेची है। यदि किसी अन्य व्यक्ति ने ग्राम पंचायत की भूमि को गलत तरीके से किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया है तो उस स्थिति में विक्रय पत्र ग्राम पंचायत के लिए बाध्यकारी नहीं है और अपीलकर्ता के कब्जे को कानूनी नहीं माना जा सकता है। अपीलकर्ता ने सहायक कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध कलेक्टर की अदालत में अपील दायर की। इसमें उल्लेखित भूमि पर कलेक्टर के समक्ष पंजाब विलेज कॉमन लैंड (रेगुलेशन) एक्ट 1961 की धारा 13-ए के तहत लंबित एक मुकदमे में अपील और भूमि एक ही होने पर, कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 20.12.2012 के तहत दोनों को एक साथ जोड़ने का आदेश दिया। मामलों और कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 17.03.2015 द्वारा अपीलकर्ताओं की अपील खारिज कर दी। प्रकरण में कलेक्टर द्वारा संबंधित बिंदुओं पर नियमानुसार प्रकरण बनाया गया तथा मुख्य प्रकरण क्रमांक 1 एवं 2 पर रिकार्ड एवं तथ्यों पर विस्तार से विचार कर निर्णय लिया गया। कलेक्टर ने वाद संख्या 1 और 2 का निर्णय करते हुए निष्कर्ष दिया है कि पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम के कार्यान्वयन पर, वाद भूमि का उत्परिवर्तन संख्या 419 दर्ज किया गया था और दिनांक 10.02.1995 को ग्राम पंचायत के नाम पर स्वीकृत किया गया था और इस्तमाल योजना के दौरान भूमि को शामिल कार्य के लिए आरक्षित रखा जा रहा था और शामिल कार्य के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि शामिल देह की परिभाषा के अंतर्गत आती है और ग्राम पंचायत में निहित होती है। वर्ष 1955-56 की जमाबंदी के अनुसार वाद भूमि का स्वामित्व पंचायत देह एवं गैरमुमकिन के रूप में दर्ज है। अपीलकर्ताओं ने उनके समक्ष कोई सबूत पेश नहीं किया है जो यह साबित कर सके कि मुकदमे की जमीन पर उन्होंने पंजाब विलेज कॉमन लैंड एक्ट यानी 12 साल पुराने 26-01-1950 के लागू होने से पहले कब्जा कर रखा है”।

(13) इसके साथ ही, आदेश दिनांक 17.03.2015 (पी-2) को भी वर्तमान समीक्षा आवेदकों-रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा आयुक्त, रोहतक के समक्ष अपील दायर करके चुनौती दी गई थी। चार अन्य अपीलों के साथ उक्त अपील को भी आयुक्त, रोहतक द्वारा दिनांक 15.09.2016 (पी-3) को एक सामान्य आदेश पारित करके निम्नानुसार खारिज कर दिया गया: -

"मैंने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनी हैं और फाइल पर उपलब्ध रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि वर्ष 1955-56 की जमाबंदी के अनुसार मालिकाना हक के कॉलम में भूमि दर्ज है। पंचायत देह के अनुसार दर्ज है और कृषक मकबुजा के कॉलम में पंचायत दर्ज है और कॉलम में है भूमि के प्रकार के अनुसार इसे गैरमुमकिन जोहराद, गैरमुमकिन रायत, गैरमुमकिन रास्ता, बंजर कदीम और सैलाब के रूप में दर्ज किया गया है। इस प्रकार, भूमि पंचायत के स्वामित्व में है और पंचायत देह की परिभाषा में आती है। पत्रावली एवं निचली अदालत के अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में कलेक्टर द्वारा संबंधित बिन्दुओं पर नियमानुसार प्रकरण बनाया गया है तथा मुख्य प्रकरण क्रमांक 1 एवं 2 पर रिकार्ड एवं तथ्यों पर विस्तार से विचार कर निर्णय लिया गया है। कलेक्टर ने वाद क्रमांक 1 एवं 2 का निर्णय करते हुए निष्कर्ष दिया है कि पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट के क्रियान्वयन पर वाद भूमि का म्यूटेशन क्रमांक 419 दिनांक 10.02.1995 को ग्राम पंचायत के नाम पर दर्ज एवं स्वीकृत किया गया तथा उसके दौरान योजना इस्तेमाल सूट भूमि को शामिल कार्य के लिए आरक्षित रखा जा रहा था और शामिल कार्य के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि शामिल देह की परिभाषा के अंतर्गत आती है और ग्राम पंचायत में निहित

होती है। वर्ष 1955-56 की जमाबंदी के अनुसार वाद भूमि का स्वामित्व पंचायत देह एवं गैरमुमकिन के रूप में दर्ज है। अपीलकर्ताओं ने उनके सामने कोई सबूत पेश नहीं किया है जो यह साबित कर सके कि मुकदमे की जमीन पर उन्होंने पंजाब विलेज-कॉमन लैंड एक्ट लागू होने से पहले यानी 26.01.1950 से 12 साल पुराना कब्जा कर रखा है। मुद्दा संख्या 3 पर कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला है कि सहायक कलेक्टर के आदेश के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 ने आयुक्त, रोहतक मंडल, रोहतक के पास अपील की और आयोग, रोहतक मंडल ने प्रतिवादी संख्या 1 की अपील स्वीकार कर ली है और आयुक्त, रोहतक के आदेश के अनुसार, मुकदमा दायर किया गया था। पुनः ग्राम पंचायत के नाम दर्ज हो गया। मालिकों ने वित्तीय आयुक्त की अदालत के समक्ष एक कार्यकारी अपील दायर की और उसे भी खारिज कर दिया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि सहायक कलेक्टर द्वारा पारित आदेश अवैध था।

(14) यह स्पष्ट है कि उक्त आदेशों को वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दी गई थी, जो 11.07.2017 को प्रारंभिक सुनवाई के लिए आई थी, जिसके तहत एक सामान्य निर्णय के माध्यम से, दो रिट याचिकाएं (2017 की सीडब्ल्यूपी संख्या 63 और 80) को खारिज कर दिया गया था। भूमि का शालमाल्ट भूमि होना। इस न्यायालय द्वारा पैरा-12 में दिए गए निष्कर्षों का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

“12. पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह उल्लेख किया जा सकता है कि कोई भी भूमि जो 'सामान्य प्रयोजनों' के लिए उपयोग की जाती है, आरक्षित की जाती है या निर्धारित की जाती है, शामिल भूमि के दायरे में आती है और यह ग्राम पंचायत में निहित होती है। हालाँकि, यदि ऐसी भूमि को मालिकों के बीच विभाजित किया गया था और वे कट ऑफ तारीख 26.01.1950 को व्यक्तिगत रूप से खेती कर रहे थे, अर्थात् 1961 अधिनियम लागू होने से 12 साल पहले, ऐसी भूमि को शामिल देह की परिभाषा से बाहर रखा जाना था। जबकि यह साबित करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत पर थी कि भूमि या तो सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित थी या अन्यथा यह शामिल देह की परिभाषा के अंतर्गत आती थी, याचिकाकर्ता केवल तभी सफल हो सकते थे यदि वे यह साबित करने में सक्षम थे कि उनके विक्रेता/पूर्ववर्ती: में थे 26.01.1950 को भूमि पर व्यक्तिगत खेती का कब्जा। राजस्व रिकॉर्ड में भारी प्रविष्टियों को देखते हुए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ इन सभी परस्पर जुड़े मुद्दों का जवाब दिया जाना उत्तरदायी है। वर्ष 1909-10 (पी-9) की जमाबंदी से हमें पता चलता है कि विवादित भूमि शामिल देह हसब रसद रकबा खेवत के रूप में दर्ज थी और भूमि की प्रकृति बंजार कादिम के रूप में दर्ज थी। इसके व्यक्तिगत खेती के कब्जे में कोई मालिक दर्ज नहीं किया गया है, बल्कि स्वामित्व के कॉलम में शामिल देह को जमीन का मालिक दर्ज किया गया है। वास्तव में, यदि भूमि की प्रकृति बंजार कादिम है, तो इसका आवश्यक अर्थ यह है कि वह खेती योग्य नहीं थी और उसका उपयोग कभी भी कृषि प्रयोजनों के लिए नहीं किया गया था। हम समेकन योजना से भी गुजरे हैं जिसमें दो प्रकार की शामिल देह भूमि शामिल है, (i) भूमि जो पहले से ही सामान्य उद्देश्यों के लिए उपयोग या आरक्षित की गई थी और (ii) भूमि जो गांव के मालिकों से आनुपातिक आधार पर ली गई थी आधार बनाया जाए और सामान्य उद्देश्यों के लिए सामान्य पूल में डाला जाए। विवादित भूमि को दूसरी श्रेणी का मानते हुए, यह इस तथ्य के मद्देनजर शामिल देह की परिभाषा में आती है कि यह बंजार कादिम है और इसे कभी भी खेती योग्य नहीं बनाया गया था और कभी भी मालिकों के कब्जे में खेती नहीं हुई थी। इस प्रकार ऐसी भूमि इस दृष्टि से शामिल देह के अर्थ में आणी 1961 अधिनियम की धारा 2(जी) से जुड़ा स्पष्टीकरण हरियाणा राज्य पर लागू”।

15. उक्त निर्णय के खिलाफ व्यथित होकर, पूर्व समीक्षा आवेदकों-रिट याचिकाकर्ताओं ने 2017 में एसएलपी (सी) संख्या 26663 दायर की, जिसमें निम्नलिखित आदेश पारित किया गया: -

" याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने समीक्षा याचिकाएं भरने के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता के साथ इन याचिकाओं को वापस लेने की प्रार्थना की। जोकि स्वीकार कर ली गई।

तदनुसार, विशेष अनुमति याचिकाएं पूर्वोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस ली गई मानकर खारिज की जाती हैं। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यदि याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय के समक्ष असफल होते हैं, तो उन्हें मुख्य आदेशों के साथ-साथ समीक्षा याचिकाकर्ताओं में पारित आदेश को चुनौती देने के लिए एक बार फिर से इस अदालत में जाने की अनुमति है।

(16) अब वर्तमान समीक्षा आवेदन दायर किया गया है।

(17) मामले के तथ्य, जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह दर्शाता है उत्तरदाताओं के पक्ष में दर्ज तथ्य की एक समवर्ती खोज है कि विचाराधीन भूमि शामिल देह है। इस स्तर पर, हमें खुद को इस तथ्य के प्रति सचेत करना

चाहिए कि हम इस न्यायालय द्वारा पहले ही पारित दिनांक 11.07.2017 (ए-2) के फैसले की समीक्षा में बैठे हैं और मामले की सुनवाई नहीं कर रहे हैं जैसे कि हम अपील में बैठे हैं। समीक्षा के पैरामीटर बहुत सीमित हैं जैसा कि सीपीसी के आदेश 47 नियम 1 के साथ पठित धारा 114 के तहत परिकल्पित है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामले में कहा कि समीक्षा आवेदन गलती के सुधार के लिए है न कि विचारों के प्रतिस्थापन के लिए। एक बिंदु जो अपील के लिए एक अच्छा आधार हो सकता है, उसे समीक्षा के लिए आवेदन के लिए एक अच्छा आधार होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार, साक्ष्य या कानून के बारे में गलत दृष्टिकोण समीक्षा के लिए कोई आधार नहीं है, हालांकि, यह अपील के लिए एक अच्छा आधार हो सकता है। यदि वर्तमान आवेदन को उपरोक्त के आलोक में देखा जाए, तो समीक्षा आवेदक प्रथम दृष्टया यह दर्शाने में सक्षम नहीं हैं कि उक्त निष्कर्ष गलत है।

(18) जो भी हो, भले ही तर्कों का मूल्यांकन गुण-दोष के आधार पर किया जाए, वे पूरी तरह से गलत हैं।

(19) प्रथम तर्क - माना जाता है कि, विचाराधीन भूमि राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा खरीदी गई थी। QUA- यह राजस्व रिकॉर्ड/म्यूटेशन, एक निश्चित निष्कर्ष नीचे के अधिकारियों द्वारा दर्ज किया गया है कि इसे अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से अद्यतन किया गया था और बाद में इसे ठीक भी किया गया था। इतना ही नहीं, बहस के दौरान भी, आवेदक के वकील ने स्वीकार किया, जैसा कि उनके तर्क संख्या से स्पष्ट है। 6, कि विचाराधीन भूमि म्यूटेशन संख्या के तहत शामिल देह के रूप में दर्ज की गई थी। 419 दिनांक 10.02.1955 ग्राम पंचायत के पक्ष में। जैसा कि अधिकारियों के साथ-साथ इस न्यायालय ने दिनांक 11.07.2017 के फैसले में कहा था, भूमि को शामिल देह के रूप में दर्शाया गया था, फिर किसी भी व्यक्ति को शामिल भूमि, जो गांव की है, को बेचने का कोई अधिकार नहीं है। यह कानून की स्थापित स्थिति है कि किसी भी विक्रेता के पास उसके विक्रेता से बेहतर शीर्षक नहीं हो सकता है। इसलिए यह तर्क कि आवेदक वास्तविक खरीदार हैं, बिना किसी आधार के खारिज कर दिया गया है।

(20) द्वितीय तर्क :- सामान्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि की सूची दिखाने के लिए चकबंदी कार्यवाही के दौरान तैयार किए जाने वाले एक अलग दस्तावेज़ का हवाला देकर सूची अनुलग्नक पी -8 (एक पृष्ठ की फोटोकॉपी) पर निर्भरता न तो यहां है और न ही वहां है। माना जाता है कि, समेकन की कार्यवाही पूर्वी पंजाब होल्डिंग्स (एकीकरण और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम, 1942 के तहत निहित प्रावधानों के मद्देनजर की जाती है, जिसने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक पूर्ण तंत्र प्रदान किया है। आवेदकों को संबंधित प्राधिकारी से पूरा रिकॉर्ड लाना होगा और चकबंदी के समय निर्धारित अपनी भूमि की पहचान करनी होगी। इसे नीचे के अधिकारियों के समक्ष साबित करके और उनकी भूमि की प्रकृति और चरित्र को स्थापित करके किया जाना आवश्यक था। न तो उक्त रिकॉर्ड को रिट याचिका के साथ जोड़ा गया है और न ही नीचे के अधिकारियों के समक्ष राज्य/विपरीत पक्ष को इसकी सामग्री का खंडन करने में सक्षम बनाया गया है। नतीजतन, आवेदकों द्वारा उठाए गए दावे पर निर्णय लेने के लिए अलग-अलग दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह न केवल एक अधूरा दस्तावेज है जिसके लिए साक्ष्य की आवश्यकता होती है, बल्कि कानून की नजर में इसका कोई अनुमानित मूल्य भी नहीं है।

(21) तीसरा तर्क :- इस तर्क को केवल संक्षेप में खारिज करने के लिए ही देखा जा रहा है। सूरज भान के मामले (सुप्रा) के वकील द्वारा जिन पैराग्राफों पर भरोसा किया गया है, उनके अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे वर्तमान मामले के तथ्यों पर दूर-दूर तक लागू नहीं होते हैं। सूरज भान के मामले में, माननीय पूर्ण पीठ ने 'शामलात भूमि' की विभिन्न प्रकृतियों पर विचार किया था और गांव के मालिकों के स्वामित्व की प्रकृति और नगरपालिका अधिकारियों द्वारा उनके अधिग्रहण की एक व्यवस्था भी निर्धारित की थी। समीक्षा आवेदकों के वकील ने हमें पैराग्राफ संख्या 218 (ई), (एफ), (एच), (1), (1) और (के) के बारे में बताया। हमने इन पैराग्राफों का अध्ययन किया है और पाया है कि पैराग्राफ नं. (एच), (आई) और (के) जुमला मुस्तर्का मलकान भूमि को संदर्भित करते हैं, जो वर्तमान मामले में शामिल नहीं है और पैराग्राफ (ई) और (1) केवल उस तरीके को दर्शाते हैं जिसमें एक भूमि जो नगरपालिका सीमा के भीतर आती है। अधिग्रहीत। जहां तक पैराग्राफ (एफ) का सवाल है, हम पाते हैं कि यह पैराग्राफ उनके मामले को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। इसके अलावा यदि हम उप-पैराग्राफ को भी पुनः प्रस्तुत करें तो यह उपयोगी होगा।

(ए) भी, जो कानून को और भी स्पष्ट बनाता है। इस प्रकार उप-पैराग्राफ (ए) और (एफ) निम्नानुसार पढ़ते हैं: -

"(ए) वीसीएल अधिनियम 1961 की धारा 2(जी) में उल्लिखित 'शामलात देह' भूमि गांव की सामान्य भूमि है और उक्त अधिनियम की धारा 5 के अनुसार 'गांव के निवासियों' के सामान्य उपयोग और लाभ के लिए है। .

गांव जमालपुर बनाम मलविंदर सिंह (सुप्रा) की ग्राम पंचायत में, यह कहा गया था कि हालांकि, 'शामलात देह' भूमि में अन्य भूमि के मालिकों का हित, उन अन्य भूमि में उनके मालिकाना हितों के लिए आकस्मिक था, इस तरह की रुचि 'शामलात' अन्य भूमियों में उनकी रुचि का मात्र एक उपांग नहीं था और इस प्रकार आरक्षित भूमियों को गांव की स्थापना करने वाले मूल निवासियों या उनके वंशजों की सामान्य संपत्ति के रूप में उत्साहपूर्वक संरक्षित किया गया था, और कभी-कभी उन लोगों की भी जिन्होंने बसने वालों की सहायता की थी कचरे को साफ करने और इसे खेती के तहत लाने में इन आरक्षित भूखंडों में हिस्सेदारी के रूप में मान्यता दी गई थी। यह कहा गया था, "एक सामान्य नियम के रूप में, केवल गांव (मलिकन-देह) के मालिक, जो अपने स्वयं के स्वामित्व (मलिकन मकबुजा खुद) के मालिकों से अलग हैं, शामलात देह में हिस्सेदारी के हकदार हैं"। यह भी देखा गया कि ऐसा प्रतीत होता है कि गांव की सामान्य भूमि में हिस्सेदारी का अधिकार गांव में कृषि भूमि के स्वामित्व से जुड़ी एक घटना थी और आम तौर पर वे व्यक्ति जिनके पास भूमि होती थी जिस पर राजस्व का आकलन किया जाता था और जो लोग 'खेवट' में सहभागी थे, वे अपने द्वारा भुगतान किए गए राजस्व के अनुपात में हिस्सेदारी के हकदार थे। यद्यपि भूमि का स्वामित्व भूस्वामियों के पक्ष में माना जाता था; हालांकि, वीसीएल अधिनियम 1953 कृषि सुधारों का एक उपाय होने के नाते, यह माना गया कि इसे संविधान के अनुच्छेद 31 ए का संरक्षण प्राप्त होगा।

(एफ) हालांकि, जहां भूमि की पहचान किसी दस्तावेज के माध्यम से या राजस्व रिकॉर्ड/जमाबंदी के माध्यम से स्वामित्व, स्वामित्व की झलक या उसके हिस्से की सीमा तक मालिक के स्वामित्व के अवशेष द्वारा की जाती है, तो मालिक, इस प्रकार पहचाना जाएगा। अपनी पात्रता के अनुसार मुआवजे का हकदार हो। इसके अलावा, यदि भूमि वीसीएल अधिनियम 1961 की धारा 2 (जी) के बहिष्करणीय खंड के अंतर्गत आती है, तो ऐसी भूमि का मालिक मुआवजे का हकदार होगा। हालांकि, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि स्वामित्व का अधिकार, स्वामित्व की समानता, शीर्षक का अवशेष या यह वीसीएल अधिनियम 1961 की धारा 2 (जी) के बहिष्करणीय खंडों के अंतर्गत आता है, यह साबित करने का दायित्व दावा करने वाले व्यक्ति पर होगा, जिसे वह इस आधार पर स्थापित कर सकता है। राजस्व रिकॉर्ड/जमाबंदी या अन्य सामग्री। हालांकि, राजस्व रिकॉर्ड, जिसमें सत्य की धारणा जुड़ी हुई है, खंडन के अधीन होंगे।

(22) उसी के साथ-साथ अन्य पैराग्राफों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक जर्मीदार को शामलात भूमि में अपने हिस्से को साबित करने के लिए राजस्व रिकॉर्ड आदि के माध्यम से शामलात भूमि में अपने निश्चित हिस्से का सबूत पेश करना आवश्यक है। उक्त साक्ष्य के अभाव में, यह अनुमान लगाया जाता है कि शामलात देह के रूप में दर्ज कोई भी भूमि 1953 अधिनियम (अब 1961 अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित) के लागू होने के बाद पंचायत में निहित हो गई है। वर्तमान मामले में, न तो कोई दलील है और न ही कोई सबूत पेश किया गया है जो हमें दिनांक 11.07.2017 के फैसले में पहले से ही अपनाए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित कर सके। अतः यह तर्क भी अस्वीकार किया जाता है।

(23) चौथा तर्क: रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि नीचे के अधिकारियों के साथ-साथ इस अदालत ने भी इस तर्क पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया है क्योंकि समीक्षा आवेदकों द्वारा इस बिंदु पर कभी भी गंभीरता से विवाद नहीं किया गया था। जो भी हो, हम इस तर्क से भी निपटने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह तर्क कि विचाराधीन भूमि (यमुना नदी की) नदी की कार्रवाई के अधीन है और इसलिए यह धारा 2(जी)(5)(i) के तहत दिए गए अपवाद के अंतर्गत आती है, पूरी तरह से गलत है। स्पष्ट है कि वर्ष 1909-10 के राजस्व रिकॉर्ड में भूमि "शामलात देह हसब रसद रकबा खेवत" के रूप में दर्ज है और भूमि की प्रकृति 'बंजर कदीम' यानी गैर-खेती योग्य भूमि के रूप में दर्ज है। जैसा कि आरोप लगाया गया है, भूमि कभी भी नदी की धारा के अधीन नहीं थी। यदि थी भी, तो किसी भी व्यक्तिगत मालिक को उस पर व्यक्तिगत खेती के कब्जे में नहीं दिखाया गया था, जिससे वह उक्त भूमि पर किसी भी अधिकार का दावा कर सके। इसी तरह, वर्ष 1955-56 के लिए जमाबंदी के अनुसार, भूमि गैर मुमकिन जोहराद के रूप में दर्ज है। गैरमुमकिन रायत, गैरमुमकिन रास्ता, बंजार कदीम और सैलाब। भूमि की इस प्रकृति का यह भी मतलब नहीं है कि याचिकाकर्ताओं की भूमि नदी के प्रभाव में थी। यदि ऐसा था, तो भी स्वामित्व हमेशा उनके पास ही रहा। ग्राम पंचायत अनादि काल से है और यह कभी भी किसी व्यक्ति के स्वामित्व में नहीं आई। इस प्रकार, ग्राम पंचायत की भूमि को किसी निजी व्यक्ति को बेचना तब तक संभव नहीं है जब तक कि इसे अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार नहीं बेचा जाता है। वाजिब-उल-अर्ज के रूप में समीक्षा आवेदकों द्वारा उनके समीक्षा आवेदन में संदर्भित भी उनके मामले का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि यह कहीं भी साबित नहीं होता है कि यह समीक्षा आवेदकों द्वारा खरीदी गई भूमि से संबंधित है।

(24) जहां तक दस्तावेज अनुलग्नक ए-4 कोली का संदर्भ दिया गया है, हमारी राय है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि न तो यह निचली अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा था और न ही रिट याचिका के निर्णय के समय प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा, इसमें उस व्यक्ति के पदनाम का उल्लेख नहीं है जिसने ऐसी प्रविष्टि की है। इतना ही नहीं, एक राजस्व अधिकारी द्वारा तय प्रक्रिया का पालन न करते हुए जिस लापरवाही से इस तरह की रिपोर्ट दी गयी है, उससे हम आश्चर्यचकित हैं। दिनांक 25.06.2018 की रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि हस्ताक्षरकर्ता ने एक सेवानिवृत्त पटवारी से राजस्व रिकॉर्ड का अनुवाद कराया था और फिर जमाबंदी तैयार न करने के संबंध में गवाही दी थी। इस प्रकार की रिपोर्ट और प्रक्रिया अज्ञात है। हम इस तरह के अनधिकृत तरीके से रिपोर्ट देने के संबंध में राजस्व अधिकारियों की प्रथा की निंदा करते हैं।

(25) इसके अलावा, यह साक्ष्य का विषय है कि भूमि थी या नहीं। नदी कार्रवाई के तहत, जैसा कि वर्ष 1983-84 के लिए समीक्षा आवेदकों द्वारा रिकॉर्ड पर जमाबंदी दर्ज की गई है, यह भी दर्शाता है कि यह शामिल देह है और इसकी प्रकृति चाही है, न कि बंजार कदीम। उपरोक्त को देखते हुए यह तर्क भी खारिज किया जाता है।

(26) पांचवाँ तर्क: नीचे दिए गए अधिकारियों और इस न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों से यह स्पष्ट है कि संबंधित मुद्दे पर निर्णय देते समय 1909-10 के राजस्व रिकॉर्ड पर विचार किया गया था। इस प्रकार यह कहना कि केवल वर्ष 1955-56 की जमाबंदी पर विचार किया गया, तथ्यात्मक रूप से गलत है।

(27) छठा तर्क: उठाई गई दलील बिना किसी आधार के है। उत्परिवर्तन को 10.02.1955 को मंजूरी दे दी गई थी और यदि याचिकाकर्ताओं के हित में पूर्ववर्ती असंतुष्ट था तो वह उस समय उत्परिवर्तन को बहुत अच्छी तरह से चुनौती दे सकता था। हालाँकि, उक्त उत्परिवर्तन को कभी भी किसी व्यक्ति द्वारा चुनौती नहीं दी गई और इसलिए अब आवेदकों को 5 दशकों से अधिक समय के बाद इसे चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

कोई अन्य मुद्दा न तो उठाया गया और न ही बहस की गई।

(28) उपरोक्त के मद्देनजर, दिनांक 11.07.2017 (ए-2) के फैसले की समीक्षा की मांग करने वाला वर्तमान आवेदन खारिज किया जाता है।

(29) चूंकि मुख्य समीक्षा आवेदन पर निर्णय हो चुका है, लंबित विविध आवेदनों में कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है, और उसका भी निपटारा कर दिया जाएगा।

कंवलजीत सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ
नरेश कौशिक एंड परूनजीत सिंह अधिवक्ता
याचिकाकर्ताओं के लिए

सूर्या कान्त, ज.

(1) यह आदेश 2017 की सिविल रिट याचिका संख्या 63 और 80 का निपटान करेगा क्योंकि दोनों मामलों में याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 23.05.2012, 17.03.2015 और 15.09.2016 के आदेशों को चुनौती दी है जिसके तहत उन्हें बेदखल करने का आदेश दिया गया था। हरियाणा राज्य पर लागू पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1961 (संक्षेप में, 'अधिनियम') की धारा 7 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा शुरू की गई बेदखली की कार्यवाही के अनुसार वाद भूमि से। वाद भूमि को शामिल देह के रूप में घोषित किया गया है जो विधिवत ग्राम पंचायत में निहित है और बेदखली आदेश के साथ-साथ ग्राम पंचायत को भूमि का मालिक घोषित करने वाले आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई है।

(2) संक्षिप्तता के लिए, तथ्यों को खंड विकास और पंचायत अधिकारी, राय, जिला सोनीपत से निकाला जा रहा है, जिसने सहायक कलेक्टर, 1 ग्रेड, सोनीपत के समक्ष अधिनियम की धारा 7 के तहत एक बेदखली याचिका दायर की, और धारा 13 के तहत एक अलग मुकदमा दायर किया। - अधिनियम के ए में यह घोषणा करने की मांग की गई है कि विषयगत भूमि शामिल देह है जो 1961 के अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत में विधिवत निहित है और याचिकाकर्ता या अन्य निवासी जो इसके अनधिकृत कब्जे में थे। बेदखल किये जाने योग्य थे। यह मुकदमा 1173 कनाल से अधिक की भूमि से संबंधित है, जिसमें से 156 कनाल 16 मरला भूमि पहले मामले में एक कंपनी और उसके निदेशकों द्वारा खरीदी गई बताई गई है।

(3) शुरुआत में यह देखा जा सकता है कि अधिनियम की धारा 7 एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ संक्षिप्त बेदखली की कार्यवाही पर विचार करती है, जिसने ग्राम पंचायत की भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर रखा है। इसी प्रकार, स्वामित्व विवाद कि क्या भूमि शामिल देह है और ग्राम पंचायत में निहित है या यह मालिकों की है, का निर्णय भी अधिनियम की धारा 13-ए के तहत कलेक्टर के न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है क्योंकि इसका क्षेत्राधिकार स्पष्ट रूप से सिविल न्यायालय का है। वर्जित. इन मामलों में मुख्य मुद्दा स्वामित्व विवाद से संबंधित है, क्योंकि यदि भूमि शामिल देह पर है तो अनधिकृत कब्जेदारों को बेदखल करना परिणामी है। इस प्रकार, हमने कलेक्टर न्यायालय द्वारा दिनांक 17.05.2015 को दिए गए फैसले के साथ-साथ अपीलीय आदेश दिनांक 15.09.2016 को दी गई चुनौती के खिलाफ याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील को सुना है, जिसके तहत ग्राम पंचायत को वाद भूमि का मालिक घोषित किया गया और उस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई अपील खारिज कर दी गई है।

(4) सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो विचारणीय है वह यह है कि क्या विवादित भूमि शामिल देह है और ग्राम पंचायत में निहित है या यह गांव के मालिकों की है?

(5) अधिनियम की धारा 2 (जी) "शामलात देह" को परिभाषित करती है

इसमें शामिल हैं:

"(1).....

(2).....

(3).....

(4) सड़कों, गलियों, खेल के मैदानों, स्कूलों सहित ग्राम समुदाय के लाभ के लिए उपयोग की गई या आरक्षित भूमि। सभा क्षेत्र के भीतर स्थित पीने के कुएं या तालाब.....ः

(5) राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार, किसी भी गांव की भूमि को बंजर कादिम के रूप में वर्णित किया गया है और गांव के सामान्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है।

उपरोक्त परिभाषा में एक 'बहिष्करण खंड' भी शामिल है और खंड (iii) के अनुसार, यदि "26.01.1950 से पहले भूमि का विभाजन किया गया है और व्यक्तिगत भूमि-धारकों द्वारा खेती के तहत लाया गया है और (viii) शामिल देह है, तो भूमि का मूल्यांकन किया गया था राजस्व और 26 जनवरी, 1950 को या उससे पहले सुचा शामिल देह में उनके संबंधित शेयरों से अधिक नहीं होने के कारण सह-हिस्सेदारों के व्यक्तिगत खेती के कब्जे में रही है, ऐसी भूमि शामिल देह के दायरे में आती है। अधिनियम की धारा 2 (जी) में संलग्न स्पष्टीकरण आगे स्पष्ट करता है कि "अधिकारों के रिकॉर्ड के स्वामित्व के कॉलम में 'जुमला मालकान वा दीगर हकदारन अराजी हस्ब रसद', 'जुमला मालकान' या 'मुश्तरका मालकान' के रूप में दर्ज की गई भूमि होगी।" इस धारा के अर्थ के अंतर्गत शामिल देह

(6) अधिनियम की धारा 13-ए के तहत घोषणात्मक मुकदमा ग्राम पंचायत द्वारा दायर किया गया था। इस प्रकार यह साबित करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत पर थी कि विवादग्रस्त भूमि शामिल देह की परिभाषा के अंतर्गत आती है। चूंकि याचिकाकर्ताओं ने ग्राम पंचायत के दावे का विरोध किया, इसलिए कलेक्टर ने निर्धारण के लिए निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए;

"(1) क्या वाद भूमि का उपयोग आम प्रयोजनों के उपयोग में किया गया है

और शामिल देह की परिभाषा के अंतर्गत आता है?;

(2) क्या 1961 अधिनियम लागू होने से पहले भी वाद भूमि शामिल देह थी?;

(3) क्या सहायक कलेक्टर, 1 ग्रेड, खरखौदा द्वारा दिनांक 02.02.1998 को मालिकों के बीच भूमि के विभाजन के लिए पारित आदेश अवैध है?;

(4) क्या कलेक्टर का न्यायालय उन विक्रय-पत्रों को रद्द करने में सक्षम था, जिनके माध्यम से प्रतिवादी क्रमांक 1 से 13- ने वाद भूमि का एक हिस्सा खरीदा था?;

(5) क्या वाद का कारण वादी-ग्राम पंचायत के पक्ष में उत्पन्न हुआ है?;

(6) क्या मुकदमा वर्तमान स्वरूप में चलने योग्य था?, और

(7) क्या गाँव के जमींदारों को पक्ष-प्रतिवादी न बनाने के कारण वाद दोषपूर्ण था?

(7) कलेक्टर ने प्रतिद्वंद्वी विवादों पर विस्तार से चर्चा करने के बाद, इस तथ्य के मद्देनजर ग्राम पंचायत के पक्ष में अंक संख्या 1 का उत्तर दिया कि विवाद में भूमि को उत्परिवर्तन संख्या 419 दिनांक 12.02.1955 के तहत ग्राम पंचायत के पक्ष में परिवर्तित कर दिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि वाद भूमि 'सामान्य उद्देश्यों' के लिए आरक्षित थी और ऐसी भूमि हमेशा शामिल देह की परिभाषा के अंतर्गत आती थी। कलेक्टर ने आगे कहा कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार, भूमि ग्राम पंचायत के स्वामित्व में है और याचिकाकर्ता-प्रतिवादी कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश करने में विफल रहे हैं कि वे 12 साल की अवधि से पहले कभी भी भूमि पर कब्जा कर खेती कर रहे थे। 1961 अधिनियम लागू हुआ।

(8) इसी प्रकार, अंक संख्या 2 में भी वर्ष 1955-56 की जमाबंदी (प्रदर्श ए-73) के परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत के पक्ष में उत्तर दिया गया था, जिसमें स्वामित्व के कॉलम में ग्राम पंचायत का नाम दर्ज किया गया था और भूमि की प्रकृति गैर मुमकिन के रूप में दर्ज की गई थी। कलेक्टर ने आगे कहा कि अधिकांश भूमि का उपयोग चरनद (चारागाह) के रूप में किया जाता था, जो एक सामान्य उद्देश्य भी है और ऐसी भूमि हमेशा शामिल देह की परिभाषा में आती है। आगे यह पाया गया कि तत्कालीन याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड के अनुवादित संस्करण के अनुसार भी ग्राम पंचायत को स्वामित्व के कॉलम में दर्ज किया गया था।

(9) अंक संख्या 3 के संबंध में, अर्थात्, सहायक कलेक्टर, 1 ग्रेड, दिनांक 02.02.1998 के आदेश की वैधता, कलेक्टर ने माना कि उक्त आदेश को आयुक्त, रोहतक डिवीजन के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिन्होंने अपील स्वीकार कर ली और वही अलग रख दें।

आयुक्त, रोहतक मंडल के आदेश को मालिकों द्वारा वित्तीय आयुक्त के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका में चुनौती दी गई थी जिसे भी खारिज कर दिया गया था। वह आदेश अंतिम रूप ले चुका है। दिनांक 02.02.1998 का आदेश जिस पर मालिकों ने भरोसा किया वह अस्तित्वहीन हो गया, अंक संख्या 3 का उत्तर भी ग्राम पंचायत के पक्ष में दिया गया। इन निष्कर्षों के आलोक में, कलेक्टर ने दिनांक 17.05.2015 के आदेश द्वारा ग्राम पंचायत के मुकदमे पर फैसला सुनाया।

(10) पीड़ित याचिकाकर्ताओं और अन्य स्वामियों ने आयुक्त, रोहतक डिवीजन के समक्ष अपील दायर की, जिन्होंने दिनांक 15.09.2016 के आदेश के तहत इसे खारिज कर दिया और दोहराया कि: -

"...राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि वर्ष 1955-56 की जमाबंदी के अनुसार मालिकाना हक के कॉलम में पंचवट देह के अनुसार भूमि दर्ज है और कृषक मकबुजा के कॉलम में पंचायत दर्ज है और भूमि के प्रकार के कॉलम में इसे गैरमुमकिन जोहराद, गैरमुमकिन रायत, गैरमुमकिन रास्ता, बंजार कदीम और सैलाब के रूप में दर्ज किया गया है। इस प्रकार वाद भूमि पंचायत का स्वामित्व है और पंचायत देह की परिभाषा के अंतर्गत आती है। अपीलकर्ताओं ने मुख्य रूप से भरोसा किया है कि वाद भूमि खरीदी गई है पंजीकृत विक्रय विलेखों के माध्यम से गांव के मालिकों से और वे मालिक के रूप में कब्जे में बने हुए हैं। अपीलकर्ताओं का यह तर्क तर्कहीन है क्योंकि भूमि का वास्तविक मालिक ग्राम पंचायत है और ग्राम पंचायत ने कभी भी वाद भूमि नहीं बेची है। यदि किसी अन्य व्यक्ति ने गलत तरीके से बेचा है ग्राम पंचायत की भूमि किसी अन्य व्यक्ति को दे दी गई है, ऐसी स्थिति में बिक्री विलेख ग्राम पंचायत के लिए बाध्यकारी नहीं है और अपीलकर्ताओं के कब्जे को कानूनी नहीं माना जा सकता है। अपीलकर्ता ने कलेक्टर के न्यायालय के समक्ष सहायक कलेक्टर के आदेश के खिलाफ अपील दायर की। उस अपील में उल्लिखित भूमि और पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 की धारा 13-ए के तहत कलेक्टर के समक्ष लंबित एक मुकदमे में भूमि एक ही होने पर, कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 20.12.2012 द्वारा दोनों मामलों को एक साथ जोड़ने का आदेश दिया। और कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 17.03.2015 द्वारा अपीलकर्ताओं की अपील खारिज कर दी। प्रकरण में कलेक्टर द्वारा संबंधित बिंदुओं पर नियमानुसार प्रकरण बनाया गया तथा मुख्य प्रकरण क्रमांक 1 एवं 2 पर रिकार्ड एवं तथ्यों पर विस्तार से विचार कर निर्णय लिया गया। कलेक्टर ने मुद्दा संख्या 1 और 2 का निर्णय करते हुए निष्कर्ष दिया है कि पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट के कार्यान्वयन पर, इंतकाल संख्या 419 उपयुक्त भूमि दिनांक 10.02.1995 को ग्राम पंचायत के नाम पर दर्ज और स्वीकृत की गई थी और योजना के दौरान इस्तमाल सूट की भूमि को शामिल कार्य के लिए आरक्षित रखा जा रहा था और शामिल कार्य के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि शामिल देह की परिभाषा के अंतर्गत आती है और ग्राम पंचायत में निहित होती है। वर्ष 1955-56 की जमाबंदी के अनुसार वाद भूमि का स्वामित्व पंचायत देह एवं गैरमुमकिन के रूप में दर्ज है। अपीलकर्ताओं ने उनके समक्ष कोई सबूत पेश नहीं किया है जो यह साबित कर सके कि मुकदमे की जमीन पर उन्होंने पंजाब विलेज कॉमन लैंड एक्ट लागू होने से पहले यानी 26.01.1950 से 12 साल पुराना कब्जा कर रखा है।"

(11) हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील को काफी विस्तार से सुना है और उनके द्वारा लाए गए विशाल रिकॉर्ड में प्रविष्टियों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया है।

(12) पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह उल्लेख किया जा सकता है कि कोई भी भूमि जो 'सामान्य उद्देश्यों' के लिए उपयोग की जाती है, आरक्षित या निर्धारित की जाती है, शामिल देह के दायरे में आती है और यह ग्राम पंचायत में निहित होती है। हालाँकि, यदि ऐसी भूमि मालिकों के बीच विभाजित हो गई है और वे 26.01.1950 की कट ऑफ तारीख, अर्थात् 1961 अधिनियम लागू होने से 12 साल पहले, व्यक्तिगत खेती के कब्जे में थे, तो ऐसी भूमि को परिभाषा से बाहर रखा जा सकता था। शामिल देह का। जबकि यह साबित करने का दायित्व ग्राम पंचायत पर था कि भूमि या तो आरक्षित थी या सामान्य उद्देश्यों के लिए थी या अन्यथा यह शामिल देह की परिभाषा के अंतर्गत आती थी, याचिकाकर्ता केवल तभी सफल हो सकते थे जब वे यह साबित करने में सक्षम थे कि उनके विक्रेता/पूर्ववर्ती व्यक्तिगत रूप से थे 26.01.1950 को भूमि पर कब्जा करना। राजस्व रिकॉर्ड में भारी प्रविष्टियों को देखते हुए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ इन सभी परस्पर जुड़े मुद्दों का उत्तर दिया जाना उत्तरदायी है। वर्ष 1909-10 (पी-9) की जमाबंदी से हमें पता चलता है कि विवादित भूमि शामिल देह हसब रसद रकबा खेवत के रूप में दर्ज थी और भूमि की प्रकृति बंजार कादिम के रूप में दर्ज थी। इसके व्यक्तिगत खेती के कब्जे में कोई मालिक दर्ज नहीं किया गया है, बल्कि स्वामित्व के कॉलम में शामिल देह को जमीन का मालिक दर्ज किया गया है। वास्तव में, यदि भूमि की प्रकृति बंजार कादिम है, तो इसका आवश्यक अर्थ यह है कि यह खेती योग्य नहीं थी और इसका उपयोग कभी भी कृषि उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया था। हम समेकन योजना से भी गुजरे हैं जिसमें दो प्रकार की शामिल देह भूमि शामिल है, अर्थात्, (i) भूमि जो पहले से ही सामान्य प्रयोजनों के लिए उपयोग या आरक्षित की गई थी और (ii) भूमि जो गांव के मालिकों से प्रो- पर ली गई

थी। रटा आधार पर और सामान्य उद्देश्यों के लिए एक सामान्य पूल में डाल दिया जाता है। विवादित भूमि को दूसरी श्रेणी का मानते हुए, यह भूमि शामिलता देह की परिभाषा के अंतर्गत आती है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह बंजार कदीम है और इसे कभी भी खेती योग्य नहीं बनाया गया और कभी भी मालिकों के कब्जे में नहीं आई। इस प्रकार ऐसी भूमि हरियाणा राज्य पर लागू अधिनियम की धारा 2 (जी) में संलग्न स्पष्टीकरण के मद्देनजर शामिलता देह के अर्थ में आएगी।

(13) उपर्युक्त कारणों से हमें विवादित आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है।

(14) खारिज।

CM NO.2933 ऑफ़ 2017

(1) आवेदन में उल्लिखित कारणों के लिए, सभी अपवादों के अधीन इसकी अनुमति है और दस्तावेजों (पी-9 से पी-18) को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

(2) CM मामले का निपटारा |

CM NO. 2934 ऑफ़ 2017

(3) निष्फल के रूप में खारिज कर दिया गया |

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त रहेगा।

सुनीता